



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940

No. 921]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1237(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 के नियम 7 में, “रु. 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार रुपए)” अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, “रु. 5,00,000 (पांच लाख रुपए)” अक्षर, अंक, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-60011/33/2018-एलएपी (न्याय)]

सुषमा तायशेटे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 3 जुलाई, 2000 में सा.का.नि. 582(अ), तारीख 3 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 807(अ), तारीख 14 नवंबर, 2011 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Justice)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2018

G.S.R. 1237(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000, namely :-

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Legal Services Committee (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Office Gazette.

2. In the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000, in rule 7, for the letters, figures, brackets and words "Rs.1,25,000 (Rupees One lakh twenty-five thousand)", the letters, figures, brackets and words "Rs.5,00,000 (Rupees five lakh)" shall be substituted.

[F. No. A-60011/33/2018-LAP(JUS)]

[SUSHMA TAISHETE, Jt. Secy.]

Note :- The Principal Rules were published vide G.S.R. 582 (E), dated the 3rd July, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated the 3rd July, 2000 and last amended vide G.S.R. 807 (E), dated the 14th November, 2011.